"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 जून 2018 — आषाढ़ 2, शक 1940

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-24/2018/56/इ. सू. प्रौ. — राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-12/56/2017/इसूप्रौ दिनांक 31 अगस्त 2017 की कंडिका क्रमांक 8.10 "योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु राजस्व विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को शासकीय भूमि का नि:शुल्क आबंटन किया जाएगा" के क्रियान्वयन एवं भू-खण्ड के प्रबंधन हेतु निम्नानुसार नियम निर्धारित करता हैं -

1. **प्रस्तावना -**

1.1 योजना का उद्देश्य, राज्य के मोबाईल कनेक्टिविटी से असंबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी प्रदाय किया जाना है.

1.2 योजनान्तर्गत खुली निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी द्वारा मोबाईल कनेक्टिविटी के असंबद्ध क्षेत्रों में मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाएंगे.

1.3 इसका नाम "छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना अंतर्गत मोबाईल टॉवर की स्थापना हेतु भू-खण्ड के प्रबंधन हेतु नियम, 2018" होगा.

2. **परिभाषाएं -**

2.1 विभाग - विभाग से आशय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है.

2.2 चिप्स - चिप्स से आशय छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी है.

2.3 एजेंसी - एजेंसी से आशय मोबाईल टॉवर स्थापित करने के लिए खुली निविदा के माध्यम से चयनित कंसोर्टियम की मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी है.

3. **प्राधिकृत अधिकारी -**

3.1 छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना करने हेतु विभाग की ओर से शासकीय भूमि का नि:शुल्क आबंटन हेतु आवेदन करने एवं भू-खण्ड को प्राप्त कर चिप्स को हस्तान्तरित करने के लिए विभाग के उप सचिव या वरिष्ठ स्तर के अधिकारी प्राधिकृत किये जाते हैं.

3.2 चिप्स को हस्तान्तरित भू-खण्ड पर मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु एजेंसी को अनुमति प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स प्राधिकृत किये जाते हैं.

3.3 कलेक्टर द्वारा विभाग को आबंटित भू-खण्ड पर मोबाईल टॉवर स्थापित करने के लिए एजेंसी के साथ अनुबंध निष्पादित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स प्राधिकृत किये जाते हैं.

4. **भू-खण्ड आबंटित करने की प्रक्रिया -**

4.1 एजेंसी के प्रतिनिधि मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को प्रस्तुत करें.

4.2 चिप्स द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र विभाग को प्रेषित किया जाए. विभाग की ओर से उप सचिव या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत करें.

4.3 कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ4-135/सात-1/06 दिनांक 10-08-2006 में विभागों को नि:शुल्क भूमि आबंटित करने की कलेक्टर को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अनुरूप अग्रिम आधिपत्य विभाग को प्रदान किया जाए.

4.4 कलेक्टर से भू-खण्ड का आबंटन आदेश प्राप्त होने पर विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को भू-खंड हस्तान्तरित किया जाए.

5. **अनुमति की प्रक्रिया -**

5.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स द्वारा एजेंसी के साथ अनुबंध का निष्पादन कर, भू-खण्ड का आधिपत्य सौंपा जाए.

5.2 अनुबंध का प्रारूप विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा.

6. **भू-खण्ड के उपयोग की शर्तें एवं प्रतिबंध -**

6.1 मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु प्रदत्त अनुमति से अधिक क्षेत्र का उपयोग एजेंसी द्वारा नहीं किया जाए.

6.2 एजेंसी द्वारा भू-खण्ड पर टॉवर के फाऊंडेशन के अतिरिक्त अन्य कोई स्थायी संरचना नहीं बनाई जाए. टॉवर संचालन के लिये आवश्यक अस्थायी संरचनाएं निर्मित की जा सकेगी.

6.3 एजेंसी द्वारा विद्युत प्रवाह के लिए पृथक से कनेक्शन लिया जाए एवं विद्युत फिटिंग के लिए वॉयर/केबल सुरक्षित रूप से डाले जाएं ताकि जनजीवन या भूमि को कोई नुकसान न हो.

6.4 मोबाईल टॉवर की स्थापना से आस-पास के भू-धारकों को किसी प्रकार का व्यवधान न हो.

6.5 मोबाईल टॉवर के संचालन एवं सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी.

6.6 यदि मोबाईल टॉवर स्थापित करने, संधारण करने, मरम्मत करने या अन्य तकनीकी कारणों से जन सामान्य को कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी. इस हेतु संबंधित जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार एजेंसी को उपचारात्मक उपाय करने होंगे.

6.7 एजेंसी को मोबाईल टॉवर की स्थापना हेतु प्रदत्त भू-खण्ड की सुरक्षा करनी होगी. उस पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण न हो, इसका दायित्व एजेंसी का होगा. इस हेतु अनुबंध की शर्तें बंधनकारी होंगी.

7. **अनुमति की अवधि -**

7.1 मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु भू-खण्ड के किराये की राशि एक रुपया प्रतिवर्ष होगी. एजेंसी को अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से दस वर्ष तक उपयोग की अनुमति होगी.

7.2 दस वर्ष की अवधि के उपरान्त भू-खण्ड के आबंटन पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा.

8. **अभिलेखों का संधारण -**

8.1 संबंधित जिला कलेक्टरों से प्राप्त भूमि के अभिलेख का संधारण चिप्स द्वारा किया जाए.

8.2 जिला कलेक्टरों से प्राप्त भूमि का एजेंसी को आबंटन करने का अभिलेख चिप्स द्वारा संधारित किया जाए.

9. इन नियमों पर स्पष्टीकरण एवं संशोधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अधिकृत होगा.

10. यह नियम अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.